

उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला

आजमगढ

तहसील ब्दनप्र

241910030135698

आवेदन क्र० प्रमाणपत्र क०

611243014291

प्रमाणित किया जाता है वि

पत्र/पत्री

माता का नाम

निवासी

TITTE

तहसील


क्रिष गुप्ता/Krish Gupta

भोले चन्द्र गुप्ता

क्स्म ग्प्ता

,ग्राम ब्दतपुर पो॰ भीतमपुर छपरा

बढनप्र



के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि क्रिय गुप्ता/Krish Gupta पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III , दिनॉक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है |



पद: अखिलेश कुमार

स्थान: MUBARAK AZAMGARH,बढनप्र

(Other), कोयलसा, आजमगढ

दिनॉक: 28/04/2024

Arun Digitally Signed by Arun Arun Kumar Vizeria O+Personal, S+Uttar /erma

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित बुढनपुर,आजमगढ दिनॉक:21/04/2024

जारी दिनांक: 21/04/2024

हस्ताक्षर एवं महर यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रोनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा विजिटन सिग्नेचर से हस्ताधरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कमी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसायट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क० फिर प्रमाणपत्र क० अकित कर सत्यापित किया जा सकता है।